

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

मुपसिंह बनाम केसराराम आदि

दावा बाबत :- 88Aet
मुकदमा नम्बर :- 76/2020
निर्णय दिनांक :- 09-11-2021

वादी की ओर से वकील कृष्णा आरी की व प्रतिवादी सं० की ओर से वकील नेरुदु की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा जायान के खाता सं 25/22 के खसरा सं 228 की 3-0480 है, खसरा सं 229 की 0-5060 है, खसरा सं 280 की 3-9580 है, खसरा सं 309 की 5-2360 है, कुल 12-7480 है वारानी खेतदारी में प्रतिवादी सं 1 के नाम पृ 3 हिस्सा व रोही जायान के खाता सं 25/21 के खसरा सं 258 की 2-9370 है, खसरा सं 261 की 1-9350 है वारानी खेतदारी में प्रतिवादी सं 1 केसराराम व उसके भाई इजीराम व मुंजीराम के नाम 67/102 हिस्सा पर्चा है में से प्रतिवादी सं 1 केसराराम का नाम कलमपत्र क्रिपा नं 10/10/19 वादी मुपसिंह व प्रतिवादी सं 2 तुंजाराम का बहिस्सा वारार के खेतदार लाशकार वारिधत क्रिपा नं 10/10/19 में मुपसिंह प्रतिवादी सं 1, 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 2 के पक्ष में त्याग कर मुन्ध करु क्रिपा नं 10/10/19 पर पंजीमन क्रिपा नं 10/10/19 पर पंजीमन मुल एवं हस्त्या उभुयें असा करने व यदि लक्ष मुन्ध करु के हक हो ता स्वामुक्त होने के उपरान्त ही राक्ष रिया में अगत दाखल क्रिपा नं 10/10/19 खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
(निबिध प्रशासी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला महाराष्ट्र
कैम्प